

बिहार सरकार  
गृह विभाग  
अभियोजन निदेशालय

कार्यालय आदेश संख्या.....108...../2026  
सं०सं० अ०नि० (02) 13/2026/नि०सं०

वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 572(24) दिनांक 09.03.2026 द्वारा प्राप्त उपार्जित अवकाश अदेयता प्रतिवेदन के आलोक में सुश्री/श्रीमती सुमी यादव, अभियोजन पदाधिकारी, जिला अभियोजन कार्यालय, सिवान को बिहार सेवा संहिता के नियम-227 एवं 230 के अन्तर्गत दिनांक 05.03.2026 से 24.03.2026 तक कुल 20 (बीस) दिनों का उपार्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

इसमें सचिव, गृह विभाग, बिहार, पटना का अनुमोदन प्राप्त है।

उप सचिव।

ज्ञापांक: अ०नि०(02) 13/2026/नि०सं०.....924.....

दिनांक.....8/4/26.....

प्रतिलिपि:— जिला पदाधिकारी, सिवान/मुख्य अभियोजक, सिवान/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना/ सुश्री/श्रीमती सुमी यादव, अभियोजन पदाधिकारी, जिला अभियोजन कार्यालय, सिवान को सूचनार्थ प्रेषित।

उप सचिव।

ज्ञापांक: अ०नि०(02) 13/2026/नि०सं०.....924.....

दिनांक.....8/4/26.....

प्रतिलिपि:— प्रोग्रामर, अभियोजन निदेशालय, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ प्रेषित।

उप सचिव।